समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2
फैक्स न0–0
Email : dampatnaarmssection
dm-patn

–: आदेश :–

16.08.2013

शस्त्र अपील वाद संख्या–268/2007, आयुक्त न्यायालय, पटना में **श्री शशि भूषण कुमार,** पिता–श्री बिरेन्द्र कुमार, सा0–आनन्द वस्त्रालय एवं आनन्द थाना–बिहटा, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवे शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–41/2004 कायम करते हुए अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक–17.01.2012 को माननीय आयुक्त न्यायालय के द्वारा पर पुनर्विचार करते हुए उसे निष्पादित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–16.08.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे व्यवसाय करते हैं। तदोपरान्त द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1006/गो0, दिनांक–06.11.2004 आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अधिनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आल अग्रसारित/अनुशंसित कर मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गयी है। अनुम पदाधिकारी, दानापुर द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र अनुशंसा सहित आव कार्यार्थ अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, बिहटा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि व्यवसाय करते हैं। उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करन अनुरोध किया गया। तदोपरान्त आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अनुशंसि अग्रसारित किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आ की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारस ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजे अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक स और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनु करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर वि समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश क सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उन द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्व अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। साथ ही उल्लेखनीय है कि आवेदक

की शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा सम्य विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित प्रती नहीं होता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों प वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेद श्री शशि भूषण कुमार, पिता–श्री बिरेन्द्र कुमार, सा0–आनन्द वस्त्रालय एवं आनन्द फर्निच थाना–बिहटा, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।